क्रमांक/   /री.ए.डी.एम /2020   इन्दौर, दिनांक

// आदेश//

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
(जिला इन्दौर को 4 झोन में विभक्त कर झोनवार विभिन्न गतिविधियों को शिथिल करने के संबंधी आदेश)

इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र विगत कुछ माहों में करोना कोविड–19 संक्रमण के प्रभाव में है तथा इस हेतु दिनांक 29–3–2020 से सख्त लाकडाउन/कफ्र्यु प्रभावशील किया गया था। दिनांक 29–3–2020 को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् जारी धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् कफ्र्यू लगाया गया था तथा उस आदेश में कुछ चिकित्सा संस्थान एवं मेडीकल दुकानों को संचालन की अनुमति दी गई थी। यह कफ्र्यू दिनांक 29–3–2020 से अनिश्चितकालीन लगाया गया था तथा वर्तमान में भी यह कफ्र्यू आदेश प्रभावशील है। इस कफ्र्यू आदेश के तहत् लगाए गए सख्त प्रतिबंधों पर समय–समय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा लिखित आदेश जारी कर विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की जाती रही है, जिसका अभिप्राय यह रहा है कि उन गतिविधियों, जिनकी लिखित में अनुमतियॅा प्रदान की गई है, अन्य समस्त गतिविधियॅा, दिनांक 29 मार्च, 2020 के आदेश के तहत् यथावत प्रतिबंधित रहेगी। लॉकडाउन–4 दिनांक 31 मई, 2020 को समाप्त हो रहा है।

वर्तमान में विगत 20 से 25 दिनों में कई गतिविधियॅा जैसे औद्योगिक क्षेत्र, लोहामंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, मेकेनिक नगर, 5000 स्क्वेअर फीट के भूखण्ड पर निर्माण कार्य, समस्त सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, बैंक, कियोस्क, जनरल प्रेक्टिशियन, क्लिनिक, बीमा कंपनी, चार्टड अकाउंटेंट/कंपनी सेकेट्री कार्यालय आदि को कफ्र्यू आदेश के प्रतिबंध से शिथिल किया जाकर संचालन की अनुमतियॅा दी गई है तथा साथ ही साथ चिकित्सकों के एक दल द्वारा इन दी गई अनुमतियों एवं उसके कारण करोना कोविड–19 संक्रमण के पाजीटीव रेट, करोना प्रकरणों में बढ़ोतरी, इंफेक्शन रेट, इंफेक्शन का डबलिंग रेट, कांट्रेक्ट ट्रेसिंग आदि मापदण्डों पर निरन्तर मानीटरिंग भी की जा रही है। साथ ही विभिन्न यलो

एवं रेड अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता आईसीयू एवं आक्सीजन बेड्स की उपलब्धता पर निरन्तर मानीटरिंग की जा रही है। उपरोक्त मानीटरिंग से यह प्रमाणित हुआ है कि दिनांक 29–3–2020 के उपरान्त लगाए गए सख्त कर्फ्यू एवं लाक डाउन से करोना वायरस के ट्रांसमीशन की गति धीमी हुई, जिससे वर्तमान में शहर के स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूल परिरणाम सामने आ रहे है।। कांटेक्ट ट्रेसिंग मापदण्डों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि तीसरे एवं चौथे लाकडाउन में प्रति पाजीटीव कोविड मरीज, उसके बीमार होने के पूर्व कांटेक्ट में आए व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई थी, जिससे संक्रमण के फैलने की गति धीमी हो सकी।

चौथा लाकडाउन दिनांक 31–5–2020 के समाप्त होने के उपरान्त इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में नीचे दिए गए विवरण अनुसार कर्फ्यू प्रभावशील रखते हुए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए गतिविधियॅा प्रारंभ करने की अनुमति दी जा रही है। विभिन्न गतिविधियों को दी जाने वाली छुट के तारतम्य में यह उल्लेखनीय है कि आगे आने वाले समय में इस शहर एवं जिले के **नागरिकों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी** क्योंकि आमजन नीचे बतलाई गई सावधानियों का पालन करेगा तो कोरोना संक्रमण के और अधिक फैलने से यह शहर बच सकेगा। इन्दौर जिले एवं नगर निगम सीमा क्षेत्र के निवासियों एवं **जागरूक रहवासियों को निम्न तीन सावधानी रखने हेतु प्रशासन की ओर से अनुरोध** है–

1– यह कि हर व्यक्ति यथा संभव यथा समय मास्क का उपयोग स्वयं ही करें तथा सामने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनने के उपरान्त ही बातचीत करने हेतु जागरूक एवं बाध्य करें। मास्क के रूप में आमजन सर्जीकल मास्क, एन–95, डबल लेयर थ्री फोल्ड कॅाटन मास्क, गमछा, डबल लेयर रूमाल आदि का उपयोग कर सकता है। यह इसलिए आवश्यक है कि जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो उस व्यक्ति के मुंह से एरोसोल स्प्रे ढेड मीटर तक कम से कम जाता है एवं इस परीधी अगर वह अन्य व्यक्ति की आंख, नाक एवं मुंह में प्रवेश कर जाय और बात करने वाला कोरोना वायरस से संक्रमित हो तो सामने वाला व्यक्ति चपेट में आ जाता है।

2– कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, व्यावसायिक–औद्योगिक संस्थानों में, दुकानों में अथवा किसी भी कार्यक्षेत्र में दो व्यक्ति के बीच कम से कम सेंटर टू सेंटर दो मीटर की दूरी प्रभावी रूप से डेढ मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग से ला पाती है। इसलिए डेढ़ मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से बतलाई जा रही है।

3– अपने हाथ को साबुन से अथवा सेनेटाईजर से साफ अवश्य करें। ताकि अगर हाथ का स्पर्श किसी भी ऐसी वस्तु से हुआ है, जिसमें कोरोना संक्रमण हो तो व्यक्ति उस वायरस को हाथ में ही समाप्त कर सकता है।

4– घर के अन्दर को कोई वस्तु लाते समय उस वस्तु को सेनेटाईज अवश्य करें, चाहे वह दूध की थैली हो, किराने का सामान हो, सब्जी अथवा फल इत्यादि हो। इस संबंध में छोटी सी लापरवाही सम्पूर्ण परिवारजनों को कोरोना संक्रमण से प्रभावित कर सकती है।

5– जिन गतिविधियों की भी छूट दी गई है अथवा इस आदेश के माध्यम से दी जा रही ह, उसमें शामिल व्यक्ति कार्यक्षेत्र से घर वापस लौटने पर यथा संभव अपने जूते, चप्पल, कपड़े घर के ऐसे स्थान पर रख दें जहॉ कोई नहीं जाता हो तथा कपड़ों पर गरम पानी की बाल्टी में डालकर साबुन से स्नान कर लें।

6– चश्मे का उपयोग करने वाले भी चश्मे को दिवस में दो से तीन बार साफ कर लें।

7– रखी जाने वाली सावधानियों के संबंध में कलेक्टर कार्यालय इन्दौर से एक मानक संचालन प्रक्रिया (STANDRD OPERATING PROCEDURE) कार्यालयीन आदेश क्रमांक/177/अकरी/2020 इन्दौर दिनांक 16–5–2020 द्वारा जारी की गई थी, जो आमजन हेतु पुनः संलग्न की जा रही है।

कोरोना संक्रमण की उक्त परिस्थितियों के तारतम्य में दिनांक 1–6–2020 से इन्दौर जिले में विभिन्न वर्गीकृत क्षेत्रों में कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा दिनांक 29–3–2020 से प्रभावशील किए गए कर्फ्यू आदेश में समय–समय पर जारी किए गए प्रतिबंधों से छुट

के आदेशों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे–धीरे कुछ और गतिविधियों को उक्त कफ्र्यू आदेश के प्रतिबंधों से शिथिल किया जाय ताकि यह जिला सामान्य होने की दशा में कुछ कदम आगे बढ़ा सकें।

यहॉ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक 7 दिवस में दिए जा रहे प्रतिबंधों में शिथिलता के तारतम्य में कोरोना संक्रमण फैलने के विभिन्न पैरामीटर्स तथा रेड एवं यलो अस्पतालों में आईसीयू/आक्सीजन/ सामान्य बेड की उपलब्धता का परीक्षण आईएमए अध्यक्ष के नेत्त्व में चिकित्सकों के एक दल द्वारा पूर्व अनुसार किया जाता रहे ताकि 7 दिवस उपरान्त आगे दी जाने वाली छुट पर एक युक्तियुक्तपूर्ण निर्णय लिया जा सकें। उक्त परिस्थितियों एवं शर्तो के चलते **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा 144 में दिनांक 29 मार्च 2020 को जारी कफ्र्यू आदेश में निम्नानुसार वर्गीकृत एवं उल्लेखित विभिन्न क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान करता हूँ–

इन्दौर जिले के क्षेत्रों का वर्गीकरण

इन्दौर जिले को निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है–

1– इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर समूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र

2– नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर स्थित 29 ग्रामों का क्षेत्र – झोन–3

3– इन्दौर निगम सीमा क्षेत्र के 29 ग्राम एवं मध्य क्षेत्र के मध्य के का क्षेत्र झोन–2

4– इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर स्थित मध्य क्षेत्र झोन–1

उक्त चारों क्षेत्रों में कफ्र्यु आदेश दिनांक 29–3–2020 के प्रतिबंधों में दी गई छूट का उल्लेख नीचे दिए गए विवरण अनुसार रहेगा–

<u>1– इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र</u>

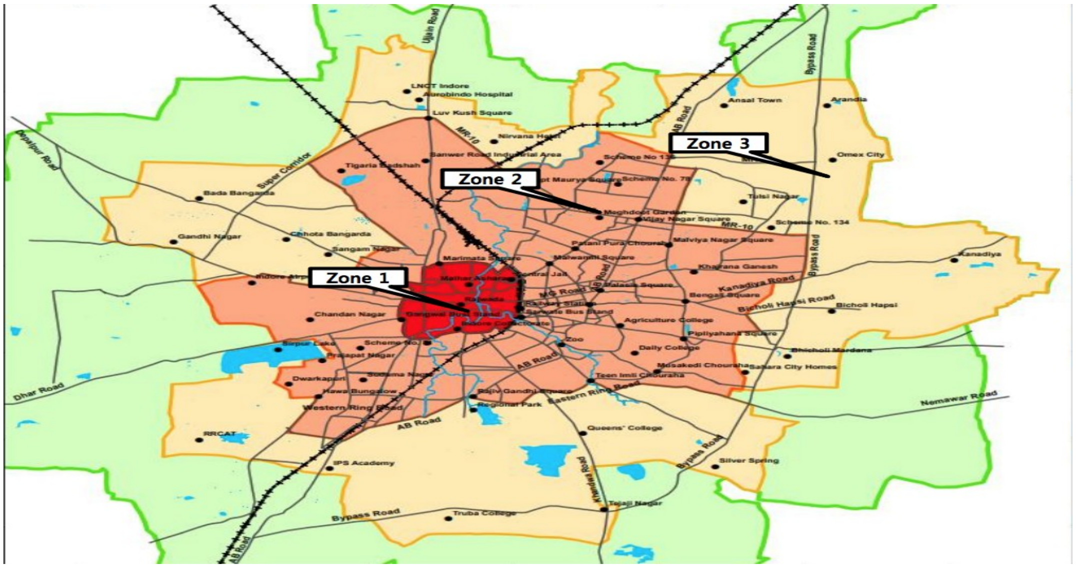

1.1 इस सम्पूर्ण क्षेत्र में समस्त प्रकार की गतिविधियॅा बिना किसी पृथक आदेश से संचालित की जा सकती है किन्तु सभी धर्मस्थल, शैक्षणिक संस्थाऍ, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्वीमिंग पुल, सार्वजनिक परिवहन, शॅापिंग माल्स, जीम, समस्त प्रकार की सार्वजनिक सभाऍ आदि प्रतिबंधित रहेगी

1.2 इसी प्रकार इन समस्त क्षेत्रों में रात्री 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रीकालीन कफ्‍र्यु लागू रहेगा और अत्यावश्यक सेवाऍ इस रात्रीकालीन कफ्‍र्यु में हो सकेगी।

1.3 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें अन्य गंभीर बिमारियॅा हैं, गर्भवती महिलाऍ तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने घरों में ही रहेंगे तथा वे केवल अत्यावश्यक सेवाऍ जैसे मेडीकल इमरजेंसी/मेडीकल चेकअप आदि के लिए निकल सकेंगे।

1.4 नगरीय क्षेत्र जैसे राउ, गौतमपुरा, हातोद, मानपुर, देपालपुर, सांवेर तथा बेटमा में निम्नानुसार अति आवश्यक एवं सामान्य आवश्यक दुकानें प्रतिदिन उनके सामने अंकित समय अनुसार खुल सकेंगी–

अति–आवश्यक की सूची (समय प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक)

ग्रोसरी / सांची पाईंट / मेडीकल / दूध डेयरी / फल–सब्जी (चलायमान रहकर घर–घर पहुॅंच सेवा) / बेकरी / कन्वीनिएंस स्टोर्स / नमकीन–मिठाई (घर पहुॅंच सेवा केवल) / अंडा–पोल्ट्री शॉप(घर पहुॅंच सेवा केवल) / स्टेशनरी(घर पहुॅंच सेवा केवल) / इलेक्ट्रिकल आईटम्स / मोबाईल फोन / पंखे–कूलर–एसी / पेट्रोल पंप / कूरियर सेवा / रिपेयरिंग शॉप्स (जैसे–मोबाईल / कम्प्यूटर / मोटर्स एवं अन्य सभी होम अप्लायसेंस) / गैराज / आटाचक्की / लाण्डी / कृषि उपकरण / खाद–बीज–कीटनाशक / एमपीऑनलाईन(कियोस्क)।

सामान्य आवश्यक की सूची (समय प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक)

गारमेंट / होजियरी / टेलरिंग शॉप्स / पीपीबैग्स–पेपर बैग्स / गृहोपयोगी प्लास्टिक सामग्री (जैसे–बाल्टी,मग्गा,टब,बाटल,टिफिन इत्यादि) / ट्रेवल–स्कूल बैग्स / बर्तन / काकरी / होम एप्लायंसेज / कम्प्यूटर्स / इलेक्ट्रानिक आईटम्स / हार्डवेयर / मोटर्स / लुब्रिकेंट्स / आटोपार्ट्स / आटो शो–रूम्स / साईकिल / फोटोकापी / फोटोग्राफर्स / ट्रेवल एजेंसीज

1.5 महू केंटोनमेंट एवं महू गांव में कोरोना संक्रमण के संबंध में अपने स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महू क्षेत्रीय जन–प्रतिनिधियों से चर्चा कर किन दुकानों को खोला जाना है, के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

1.6 अनुविभागीय दण्डाधिकारी महू / सांवेर / देपालपुर / हातोद / राउ को जिला दण्डाधिकारी के यह अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं कि अगर वे यह पाते हैं कि इस आदेश के तारतम्य में किसी भी गतिविधि को संचालित होने या खुले रहने से कोरोना संकमण में बाधा उत्पन्न

हो रही है तो इस आदेश के क्रम में किसी भी दुकान या गतिविधि को संचालित होने से राकने के आदेश जारी कर सकेंगे।

2– नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर स्थित 29 ग्रामों का क्षेत्र – झोन–3

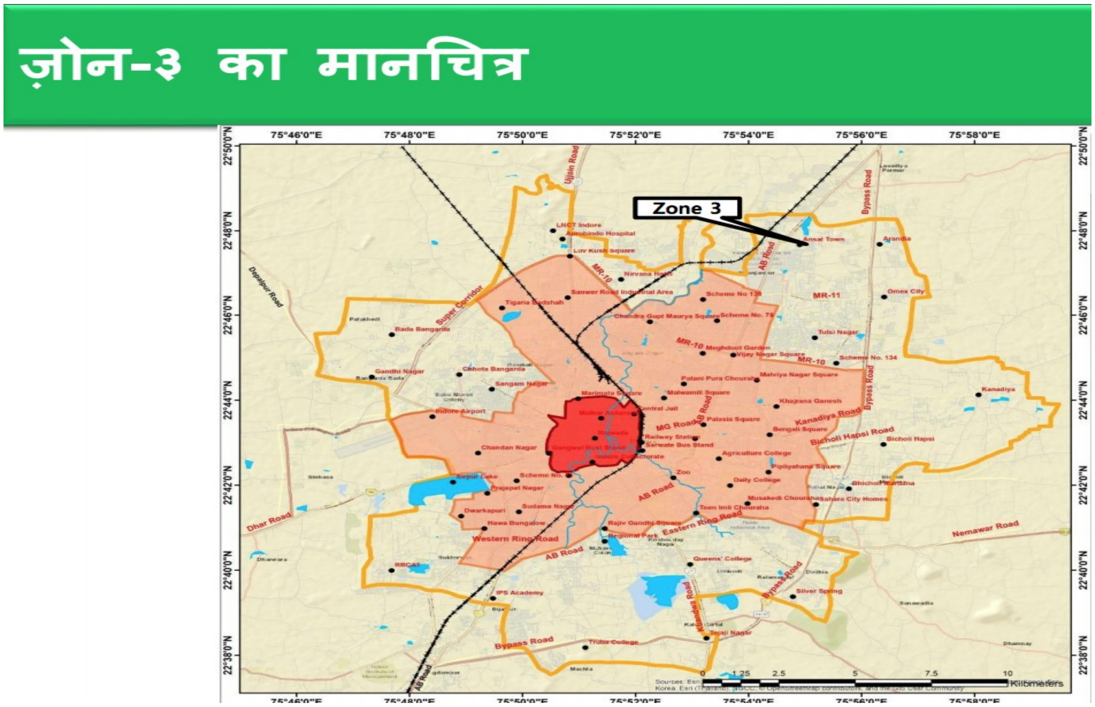

2.1 निम्नलिखित 29 राजस्व ग्राम, जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में वर्ष 2014–2015 में शामिल किए गए थे, जिनके नाम निम्नानुसार है–

निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाड़िया, टिगरिया राव, भिचौली हप्सी, भिचौली मर्दाना, नायता मुण्डला, पालदा, लिम्बोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोद कर्ताल, निहालपुर मुण्डी, हुक्मा खेड़ी, सुखनिवास, अहिरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती, बरदरी, भंवरासला, कुमेर्डी, भानगढ़, शक्कर खेड़ी, तलावली चांदा, अरण्डिया, लसूड़िया मोरी, मायाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा

2.2 इन 29 ग्रामों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा दिनांक 29–3–2020 के उपरान्त लिखित आदेश से दी गई समस्त

छुट को यथावत रखते हुए निम्न तीन श्रेणी दुकानें उनके सामने अंकित समय अनुसार संचालित हो सकेगी–

<u>अति–आवश्यक की सूची (समय प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक)</u>

ग्रोसरी/सांची पाईंट/मेडीकल/दूध डेयरी/फल–सब्जी (चलायमान रहकर घर–घर पहुँच सेवा)/बेकरी/कन्वीनिएंस स्टोर्स/नमकीन–मिठाई (घर पहुँच सेवा केवल)/अंडा–पोल्ट्री शॉप(घर पहुँच सेवा केवल)/स्टेशनरी(घर पहुँच सेवा केवल)/इलेक्ट्रिकल आईटम्स/मोबाईल फोन/पंखे–कूलर–एसी/ पेट्रोल पंप/कूरियर सेवा/रिपेयरिंग शॉप्स (जैसे–मोबाईल/क्म्प्यूटर/मोटर्स एवं अन्य सभी होम अप्लायसेंस)/गैराज/आटाचक्की/लाण्डी/कृषि उपकरण/खाद–बीज–कीटनाशक/एमपीऑनलाईन(कियोस्क)।

<u>सामान्य आवश्यक की सूची (समय प्रातः 10 से सांय 4 बजे तक)</u>

गारमेंट/ होजियरी/टेलरिंग शॉप्स/पीपीबैग्स–पेपर बैग्स/गृहोपयोगी प्लास्टिक सामग्री (जैसे–बाल्टी,मग्गा,टब,बाटल,टिफिन इत्यादि)/ ट्रेवल–स्कूल बैग्स/ बर्तन/क्राकरी/होम एप्लायंसेज/कम्प्यूटर्स/इलेक्ट्रानिक आईटम्स/ हार्डवेयर/मोटर्स/लुब्रिकेंट्स/आटोपार्ट्स/आटो शो–रूम्स/ साईकिल/ फोटोकापी/ फोटोग्राफर्स/ट्रेवल एजेंसीज

<u>निम्न आवश्यकताओं की सूची (समय अपरान्ह 11 से सांय 4 बजे तक)</u>

ज्वेलरी/वाचेस/बेंगल्स/टॉयज/लेदर गुड्स/स्पोर्ट्स गुड्स/जिम–हेल्थ केयर उपकरण/होम डेकोरेशन–होम फर्निशिंग/नर्सरी–फ्लावरिस्ट/टेंट हाउस/सीमेंट/सरीया/लकड़ी–प्लाईवुड/टाईल्स–सेनेटरी एवं बाथरूम फिटिंग/फर्नीचर/ग्रेनाईट/मार्बल एवं स्टोन्स/पेंट/कार्पेट

2.3 उक्त दुकानों के साथ–साथ निम्न कार्यालय एवं गतिविधियॉ भी झोन–2 में संचालित हो सकेगी–

2.3.1 समस्त प्रकार की औद्योगिक संस्थान संचालित हो सकेंगे।

2.3.2 पूर्व में अनुमति प्राप्त चार्टड अकाउंटेंट/कंपनी सेकेट्री के कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ संचालित हो सकेंगे।

2.3.3 टेक्स कंसलटेंट के 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ संचालित हो सकेंगे।

2.3.4 आईटी/साफ्टवेअर कंपनी/बीपीयू/डेटा इंट्री से संबंधित कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ संचालित हो सकेंगे।

2.3.5 एटीएम खोलना, सभी श्रेणी के बैंक, सभी बीमा कंपनी के कार्यालय, बीमा एजेंट का कार्यालय में जाना एवं घर पहुँच सेवा करना, क्रेडिट को–आपरेटीव सोसायटी, पोस्ट आफिस, कियोस्क बैंकिंग संचालित हो सकेंगे।

2.3.6 झोन–3 के समस्त बैंक एवं बैंकर्स अपने अकाउंट होल्डर के साथ संव्यवहार करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

2.3.7 समस्त कृषि संबंधी कार्य, वअरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन संचालित हो सकेंगे।

2.3.8 टेलीकॉम सर्वीसेस/मेंटेनेंस संबंधी कार्यालय तथा फिल्ड स्टाफ 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य कर सकेगा।

2.3.9 समस्त प्रकार के शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय ऐसे निर्माण कार्य जो अपूर्ण है, उन्हें पूर्ण करने की अनुमति इस आदेश के माध्यम से दी जाती है किन्तु नए निम्रण कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सकेंगे। निर्माण कार्यों से जुड़ी अन्य गतिविधियॅा जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन,प्लम्बर आदि भी इन निर्माण स्थलों पर कार्य कर सकेंगे।

2.4 समस्त शासकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में 33 प्रतिशत स्टाफ उपस्थिति में केवल कार्यालय संचालित हो सकेंगे। बिना

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के आदेश के अन्य कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं हो सकेगी।

2.5 प्रायवेट सेक्यूरीटी सर्वीस एवं हाउसकीपिंग सर्वीसेज प्रारंभ की जा सकेगी। हाउसकीपिंग सर्वीसेस को अपने कार्यों में समस्त क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन के साथ समस्त कार्यो को करना आवश्यक होगा।

2.6 शहर के झोन–3 में निवासरत रहवासियों को स्वास्थ्य एवं उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु प्रातः 8 बजे तक मार्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम की अनुमति बगीचों में अथवा खुले क्षेत्रों में अनुमति दी जाती है तथा प्रत्येक व्यक्ति को दो मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग अनुरूप रखना होगी। किसी भी निर्मित स्ट्रक्चर में समूह में योगा एवं प्राणारयाम प्रतिबंधित रहेगा।

2.7 प्रातः एवं दिन में खेल मैदान एवं स्टेडियम में खेल गतिविधियों करने की अनुमति इस झोन के निवासियों को रहेगी किन्तु किसी भी खेल मैदान में दर्शकों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी तथा केवल खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की उपस्थिति रहेगी।

<u>3– इन्दौर नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर मध्य क्षेत्र एवं 29 ग्राम के बीच का शहरी क्षेत्र – झोन–2</u>

3.1 झोन–2 के इस क्षेत्र में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 29–3–2020 के उपरान्त लिखित आदेश से जारी अनुमतियॅा यथावत रखते हुए निम्न गतिविधियॅा संचालित हो सकेगी–

अति–आवश्यक की सूची (समय प्रातः 8 से सांय 5 बजे तक)

ग्रोसरी / सांची पाईंट / मेडीकल / दूध डेयरी / फल–सब्जी (चलायमान रहकर घर–घर पहुॅच सेवा) / बेकरी / कन्वीनिएंस स्टोर्स / नमकीन–मिठाई (घर पहुॅच सेवा केवल) / अंडा–पोल्ट्री शॉप(घर पहुॅच सेवा केवल) / स्टेशनरी(घर पहुॅच सेवा केवल) / इलेक्ट्रिकल आईटम्स / मोबाईल फोन / पंखे–कूलर–एसी / पेट्रोल पंप / कूरियर सेवा / रिपेयरिंग शॉप्स (जैसे–मोबाईल / क्म्प्यूटर / मोटर्स एवं अन्य सभी होम अप्लायसेंस) / गैराज / आटाचक्की / लाण्डी / कृषि उपकरण / खाद–बीज–कीटनाशक / एमपीऑनलाईन(कियोस्क)।

3.2 उक्त दुकानों के साथ–साथ विवाह एवं अन्य पारीवारिक समारोह अधिकतम 12 व्यक्तियों के साथ अनुमति योग्य रहेगा किन्तु इस संबंध में श्री बी बी एस तोमर, अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर से विवाह के स्थल के साथ 12 व्यक्तियों की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3.3 अंतिम यात्रा / जनाजे में 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी तथा बिना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर की अनुमति के जिले से बाहर पार्थिव देह के अस्पताल से सीधे नहीं ले जाया जा सकेगा। इन्दौर जिले के अंदर स्थित शमशानगृह / कब्रस्तान पर ही ले जाया जाना बंधनकारी होगा। पार्थिव देह का अंतिम संस्कार जिस क्षेत्र में निवासरत है उससे निकटतम शमशानगृह / कब्रस्तान पर ही किया जाना बाध्यकारी होगा।

3.4 टेलीकॉम सर्वीसेस/मेंटेनेंस संबंधी कार्यालय तथा फिल्ड स्टाफ 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य कर सकेगा।

4— इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर मध्य क्षेत्र

जोन-१ का मानचित्र

मध्यक्षेत्र इन्दौर शहर के रहवासियों एवं कोराना संक्रमण की दृष्टि से अति–संवेदनशील श्रेणी में आता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक कोराना संक्रमित कंटेनमेंट क्षेत्र है। आबादी का घनत्व ज्यादा है तथा अत्यंत तंग सड़कें, अधिकतर व्यावसायिक दुकानें हैं। कोराना संक्रमण के चलते वर्तमान में इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को इस आदेश से संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। इस मध्य क्षेत्र में कोराना के वर्तमान प्रभाव को देखते हुए आमजन हेतु केवल निम्न गतिविधियों एवं दुकानों को संचालन की अनुमति उल्लेखित शर्तों के तहत् प्रदान की जाती है–

4.1 ग्रोसरी/किराना शॉप – प्रातः 8 से सांय 7 बजे तक इस शर्त पर संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है कि वे फोन/वाट्सएप पर बुकिंग लेकर घर–घर डीलेवरी ही कर सकेंगे। ग्राहकों का इन दुकानों पर आना प्रतिबंधित रहेगा तथा अगर किसी भी दुकान पर ग्राहक पाए गए तो संबंधित दुकान पर स्पॉट फाईन कर दुकान सील कर लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

4.2 मेडीकल शॉप्स संचालित हो सकेगी।

4.3 चलायमान रहते हुए आटोरिक्शा एवं ढेले पर फल सब्जी की घर–घर पहुॅच सेवा प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक संचालित हो सकेगी।

4.4 झोन–1 के इस क्षेत्र में टेलीफोन नेटवर्क से संबंधी केवल मेंटेनेंस संबंधी कार्य होंगे तथा इससे संबंधी कोई भी कार्यालय को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी।

4.5 इन्दौर जिले एवं आस–पास के जिलों में बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल खजूरी बाजार से संबंधित शैक्षणिक कोर्सेस की स्टेशनरी/बुक्स/कापी की दुकान बिना दुकान संचालन किए अपने गोडाउन से इन्दौर के झोन–2 तथा झोन–3 तथा अन्य जिलों में फोन/वाट्सएप पर बुकिंग लेकर शैक्षणिक सामग्री प्रदाय कर सकेंगे। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि खजूरी बाजार के किसी भी दुकान पर ग्राहक का आना–जाना प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी दुकान पर ग्राहक पाया जाता है तो दुकान सील कर उसका लायसेंस क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। खजूरी बाजार में ये दुकानदार आधा शटर बंद कर बिना किसी ग्राहक के अपने कर्मचारियों के साथ फोन पर आर्डर लेकर कार्य करेंगे।

4.6 झोन–1 में अर्थात मध्यक्षेत्र में 5000 स्क्वेअर फीट से अधिक या इससे कम का कोई भी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा। **(यहॅा यह लिख सकते हैं कि झोन–1 में सभी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।)**

इन्दौर जिले के उक्त चारों क्षेत्रों के संबंध में दिए गए आदेशों के तारतम्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 29–3–2020 के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के लिखित आदेशानुसार जो–जो अनुमतियॅा दी गई है, वे यथावत रहेंगी

तथा इस आदेश में दी गई गतिविधियॅा उल्लेखित समय अनुसार संचालित की जा सकेगी।

झोन–2 एवं झोन–3 में जो दुकान संचालन की अनुमति इस आदेश के माध्यम से जारी की गई है उस संबंध में दुकानदार निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे–

ए– यह कि झोन–2 एवं झोन–3 में इस आदेश में वर्णित दुकान/गतिविधियॅा तभी संचालित हो सकेंगी जब दुकान के सामने दो–दो मीटर सेंटर टू सेंटर गोले लगा दिए जाय।

बी– किसी भी दुकान झोन–2 एवं झोन–3 में उक्त ए में वर्णित शर्त का उल्लंघन होने पर क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर निगम के झोनल अधिकारी / थाना प्रभारी उस उल्लंघनकर्ता दुकान को सील कर लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही करेंगे।

सी– सम्पूर्ण जिले में कही भी साप्ताहिक हाट–बाजार नहीं लगेंगे तथा फूटपाथ पर सब्जीफल बेचना अथवा हाकर्स का फूटपाथ पर आना प्रतिबंधित रहेगा तथा पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107/116/151 के तहत् गिरफ्तार कर अस्थाई जेल में भेजा जा सकेगा।

डी– झोन–1 में वर्तमान में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा विभिन्न एसोसिएशन से चर्चा कर उनकी दुकानों में रखे सामान की एक बार लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति पृथक से प्रदान की जा रही है। झोन–1 में यह कार्य निरन्तर जारी रहेगा तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के लिखित आदेश के उपरान्त भी विभिन्न बाजारों के एसोसिएशन के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति पृथक से दी जा सकेगी।

ई– पूर्व में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के लिखित आदेश अथवा इस आदेश की गतिविधियों के अतिरिक्त अगर कोई अन्य व्यक्ति बिना

लिखित अनुमति के कोई भी व्यवसाय/संस्थान या दुकान खोलता है तो इस आदेश के उल्लंघन माना जावेगा तथा ऐसे व्यक्ति/संस्थान के विरूद्ध सख्त कार्यवाही क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा किया जाना आदेशित किया जाता है।

एफ– पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी साप्ताहिक हाट–बाजार, शापिंग मॉल, कोई भी धर्मस्थल, शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हाल, जीम, स्वीमिंग पुल, सामुहिक एकत्रीकरण बिना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर की अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जी– रात्रीकालीन कफ्र्यु इस आदेश के माध्यम से रात्री 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा तथा रात्रीकालीन कफ्र्यु में जो व्यक्ति/सेवाएँ/संस्थान छुट की श्रेणी में पूर्व आदेश में उल्लेखित थे, वे यथावत रहेंगे।

एच– दुबल एवं नाजुक व्यक्ति जैसे 65 वर्ष से अधिक आयु, अन्य बिमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएँ, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा और ये केवल मेडीकल इमरजेंसी आदि में बाहर आ सकेंगे।

आई– झोन–1, झोन–2 एवं झोन–3 में फल सब्जी, ढेले, लोडिंग रिक्शा से केवल चलायमान होकर विक्रय किया जा सकेगा। कहीं भी खेड़े होकर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

चूंकि यह आदेष जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावषील किया जाना आवष्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेष से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता

के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विषेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । और यह भी कि उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर **National Disaster Management Act- 2005 एवं The Epidemic Disease Act, 1897** के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं **डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट–2005** की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा यह भी कि उक्त आदेष का उल्लघंन **भारतीय दण्ड विधान की धारा 188** अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह आदेष दिनांक 31/05/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ०क्र० /री0ए0डी0एम0/2020 इन्दौर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

16– संबंधित ....

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.